



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2752]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 19, 2018/आषाढ़ 28, 1940

No. 2752]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 19, 2018/ASHADHA 28, 1940

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2018

का.आ. 3523(अ).—केंद्रीय सरकार इथेनोल का उत्पादन बढ़ाने और विशेष रूप से अधिशेष वाले मौसम में पेट्रोल के साथ इथेनोल ब्लेंडिंग (ईवीपी) कार्यक्रम के अधीन इसकी आपूर्ति बढ़ाने और इससे चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार करने, ताकि उन्हें किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सके, की दृष्टि से एतद्वारा निम्नलिखित स्कीम अर्थात् – ‘इथेनोल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम’ अधिसूचित करती है-

(1) स्कीम का उद्देश्य:

स्कीम के अंतर्गत चीनी मिलों द्वारा सहायता का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा:

- (i) नए इन्सीनेरेशन बॉयलर स्थापित करके वर्ष में मौजूदा डिस्टीलरियों के कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाकर इथेनोल उत्पादन बढ़ाने हेतु।
- (ii) चीनी मिलों को उनसे संबद्ध नई डिस्टीलरियों की स्थापना करके इथेनोल उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु।

(2) पात्रता:

- (i) चीनी मिलों से संबद्ध मौजूदा डिस्टीलरियां नए इन्सीनेरेशन बॉयलर स्थापित करने हेतु सहायता के लिए पात्र हैं।
- (ii) सभी चीनी मिलें नई डिस्टीलरियों की स्थापना के लिए सहायता हेतु पात्र हैं। उन चीनी मिलों को तरजीह दी जाएगी, जिनमें डिस्टीलरी मौजूद नहीं है।

(3) स्कीम के अधीन सहायता:

- (i) बैंकों द्वारा दिए गए ऋण ब्याज में छूट पर बैंकों द्वारा लिए जाने वाले ब्याज पर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अथवा ब्याज दर का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो केंद्रीय सरकार द्वारा पांच वर्षों के लिए वहन किया जाएगा

- (ii) स्कीम के अधीन ब्याज छूट उपर्युक्त 2 (i) के संबंध में अधिकतम 20 करोड़ रुपए के ऋण की राशि अथवा वास्तविक ऋण राशि, जो भी कम हो, पर प्रदान की जाएगी और 2 (ii) के संबंध में यह 80 करोड़ रुपए की ऋण राशि अथवा वास्तविक ऋण राशि, जो भी कम हो पर प्रदान की जाएगी।
- (iii) स्कीम के अधीन कुल ब्याज छूट इन्सिनेरेशन बायलर की स्थापना के लिए कुल 2200 करोड़ रुपए की ऋण राशि और नई डिस्टिलरी की स्थापना के लिए 2240 करोड़ रुपए की ऋण राशि तक सीमित होगी।

(4) आवेदन प्रस्तुत करना:

जो चीनी मिलें अपनी मौजूदा डिस्टिलरियों में नए इन्सिनेरेशन बाँयलर स्थापित करना चाहती हैं अथवा नया डिस्टिलरी संयंत्र स्थापित करना चाहती हैं, उनके लिए यह अपेक्षित होगा कि वे आवेदन-सह-प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध) में इस स्कीम की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर मुख्य निदेशक (शर्करा), शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को भेजें। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग निम्नलिखित मापदण्डों को ध्यान में रखकर आवेदनों की जांच करेगा:

- (क) पेट्रोल के साथ इथेनोल ब्लेंडेड (ईबीपी) कार्यक्रम के अधीन इथेनोल की आपूर्ति का कार्य-निष्पादन
- (ख) किसानों को देय गन्ना मूल्य भुगतान के बारे में ट्रैक रिकार्ड
- (ग) शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय द्वारा यथा निर्धारित पी-2 (प्रपत्र-2) में समय से मासिक ऑनलाईन रिटर्न दाखिल करना
- (घ) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा दिनांक 06.06.2018 के बाद जारी निदेशों/आदेशों का अनुपालन
- (ङ.) परियोजना के लिए शीरे की उपलब्धता
- (च) चीनी विकास निधि/लेवी चीनी मूल्य समकरण निधि की देय की स्थिति आदि।

(5) स्कीम की रूपरेखा:

- I. आवेदन-सह-प्रस्ताव की जांच करने के बाद खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग अपना सैद्धांतिक अनुमोदन देगा और ऐसे अनुमोदित प्रस्ताव अग्रणी बैंक को उनकी नीति और सरकारी मानदंडों के अनुसार ऋण स्वीकृत करने के संबंध में विचार करने हेतु संस्तुत करेगा। बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित पुनर्संरचना से संबंधित दिशा-निर्देशों सहित विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुपालन में अपने वाणिज्यिक मानदण्डों/नीतियों के अनुसार ऋण संस्वीकृत करने/जारी करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- II. आवेदक को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सैद्धांतिक अनुमोदन की तारीख से 01 वर्ष के भीतर बैंक से ऋण संवितरित हो जाना चाहिए, ऐसा न होने पर परियोजना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन रद्द हो जाएगा। इसके अलावा, बैंक से ऋण की पहली किस्त के संवितरण की तारीख से 2 वर्ष के अंदर परियोजना पूर्ण हो जानी चाहिए।
- III. चीनी मिलें संबंधित परियोजनाओं का क्रियान्वयन करते समय इथेनोल उत्पादन में क्षमता वर्धन/उन्नयन के लिए सरकार की मेक-इन-इंडिया स्कीम के साथ समभिरूपता स्थापित करने का प्रयास करेंगी।
- IV. स्कीम के अधीन ऋण का संवितरण अलग खाते में किया जाएगा ताकि उक्त प्रयोजन के लिए राशि के उपयोग की मानीटरिंग आसानी से की जा सके।
- V. वित्तीय सेवाएं विभाग नोडल बैंक के रूप में नाबार्ड की नियुक्ति सहित इस स्कीम के प्रचालन के लिए बैंकों को उचित अनुदेश जारी करेगा।

6. ब्याज छूट के भुगतान की रूपरेखा

- (i) स्कीम के अधीन ब्याज छूट का भुगतान एक वर्ष के स्थगन काल सहित 5 वर्षों के लिए किया जाएगा।
- (ii) सरकार द्वारा ब्याज छूट का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा, यदि चीनी मिल का खाता मानक है और खाता एनपीए होने तक यह उपलब्ध नहीं होगा। चीनी मिल चूक की अवधि के लिए मूलधन के साथ दंडात्मक ब्याज सहित ब्याज चुकाने के लिए उत्तरदायी होगी। इसके अलावा, बैंकों को चूककर्ता ऋणग्राहियों के विरुद्ध बैंकिंग मानदंडों तथा लागू बैंकिंग विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने की स्वतन्त्रता होगी।
- (iii) चीनी मिलों के पास अधिशेष नकद प्रवाह के मामले में बैंक द्वारा शीघ्र भुगतान लेने का निर्णय लिया जा सकता है और ऋण खाते के प्रति खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की ब्याज छूट संबंधी देयता तदनुसार कम हो जाएगी।

(iv) वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नियुक्त नोडल बैंक को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ब्याज छूट की राशि त्रैमासिक आधार पर अग्रिम तौर पर जारी करेगा। अग्रिम तौर पर भुगतान की गई ब्याज छूट पर अर्जित ब्याज का समायोजन आगामी त्रैमासिक किस्त में किया जाएगा।

(v) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग नाबार्ड से परामर्श करके ब्याज छूट के निर्गम की रूपरेखा तैयार करेगा।

7. परियोजना पूर्ण होने का प्रमाण पत्र – चीनी मिलों से संबंधित डिस्टिलरियाँ, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विधिवत सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी, जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि इन्सीनेरेशन बॉयलर की स्थापना के बाद जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्राप्त कर लिया गया है। नई डिस्टिलरियों की स्थापना के लिए ऋण लेने वाली चीनी मिलें संबंधित राज्य के उत्पाद शुल्क आयुक्त तथा सनदी इंजीनियर द्वारा विधिवत सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी, जिनमें क्रमशः प्रमाणित किया गया हो कि नई डिस्टिलरी ने उत्पादन करना प्रारम्भ कर दिया है और इसकी स्थापना कर दी गई है। ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्याज छूट की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

8. उपयोग प्रमाण पत्र: चीनी मिलें परियोजना पूर्ण होने के तीन माह भीतर संबंधित चीनी/गन्ना आयुक्त द्वारा विधिवत सत्यापित स्वीकृत ऋण राशि का उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि ऋण की राशि का उपयोग स्कीम में निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ किया गया है। राज्य/गन्ना आयुक्त ऋण के उपयोग की मानीटरिंग भी करेंगे। उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्याज छूट की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

9. जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा अथवा लिखित में कारण दर्ज करके इस स्कीम के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है।

[फा. सं. 1(10)/2018-एसपी-1]

सुरेश कुमार वशिष्ठ, संयुक्त सचिव

अनुबंध

मौजूदा डिस्टिलरी में नए इन्सीनेरेशन बॉयलर की स्थापना अथवा इथनोल उत्पादन के लिए नई डिस्टिलरी की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता के लिए चीनी कारखाने से प्राप्त आवेदन

क. चीनी कारखाने का संक्षिप्त विवरण

1	चीनी कारखाने / उपक्रम / सोसाईटी / कंपनी का नाम	
2	कारखाने का संक्षिप्त नाम और प्लांट कोड	
3	कारखाने की स्थापित पेटाई क्षमता	
4	चीनी कारखाने में चीनी उत्पादन शुरू होने की तिथि	
5	चीनी मिल से जुड़ी मौजूदा डिस्टिलरी, यदि कोई हो, की उत्पादन क्षमता	
6	क्या उपक्रम का कोई अन्य चीनी कारखाना है (अन्य समूह कारखानों का संक्षिप्त नाम और क्षमता बताएं)	
7	पेट्रोल के साथ इथेनोल ब्लेंडिंग कार्यक्रम (ईबीपी) के तहत वर्तमान और पिछले दो इथेनॉल वर्षों के दौरान इथेनॉल आपूर्ति का निष्पादन:	
	(i) ओएमसी द्वारा मांग की गई इथेनॉल की मात्रा (वर्षवार)	
	(ii) मांग की गई मात्रा के प्रति आपूर्ति की गई इथेनॉल की मात्रा (वर्षवार)	
8	गन्ना मूल्य भुगतान का निष्पादन:	
	(i) 2017-18 चीनी मौसम के दौरान गन्ने की खरीद के लिए देय कुल गन्ना मूल्य।	
	(ii) 2017-18 चीनी मौसम में खरीदे गए गन्ने के लिए भुगतान किया गया कुल गन्ना मूल्य।	
	(iii) 2017-18 चीनी मौसम और इससे पहले के मौसमों के लिए लंबित गन्ना बकाया, यदि कोई हो (कृपया बकाया राशि मौसम-वार दर्शाएं)	

9	क्या मासिक प्रोफार्मा पी-2 ऑनलाइन दर्ज किया गया है (यदि हां, तो किस महीने तक)	
10	क्या 06.06.2018 को या उसके बाद खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों/आदेशों का पालन किया गया है	
11	चीनी विकास निधि/लेवी चीनी मूल्य समकरण निधि/ लेवी के बकाया की स्थिति, यदि कोई हो।	

ख. इन्सीनेरेशन बाँयलर की स्थापना के लिए चीनी मिल से जुड़ी मौजूदा डिस्टिलरी से संबंधित सूचना

(i)	प्रस्तावित इन्सीनेरेशन बाँयलर की क्षमता।	
(ii)	प्रस्तावित बाँयलर का वर्किंग प्रेशर।	
(iii)	क्या सीपीसीबी की अनुमति प्राप्त की गई है, यदि हां, तो मौजूदा डिस्टिलरी के लिए एक वर्ष में प्रचालन दिनों की संख्या।	
(iv)	इन्सीनेरेशन बाँयलर की स्थापना के लिए मांगी गई वित्तीय सहायता (शुल्क, अधिभार और स्थापना लागत आदि सहित)। कृपया मद-वार ब्यौरा प्रस्तुत करें।	
(v)	अग्रणी बैंक का नाम।	
(vi)	क्या इसी तरह की परियोजना के लिए चीनी विकास निधि सहायता का लाभ उठाया गया है।	
(vii)	इन्सीनेरेशन बाँयलर की स्थापना के बाद प्रचालन के प्रस्तावित दिन।	
(viii)	नए इन्सीनेरेशन बाँयलर की स्थापना के बाद इथेनॉल का अतिरिक्त उत्पादन।	
(ix)	समूह कंपनी की मौजूदा चीनी मिलों में शीरे का उत्पादन (कृपया इकाई-वार बताएं)	
(x)	नए इन्सीनेरेशन बाँयलर की स्थापना के लिए प्रस्तावित समय सीमा	
(xi)	इन्सीनेरेशन बाँयलर की स्थापना के बाद इथेनॉल उत्पादन शुरू होने की संभावित तारीख।	
(xii)	क्या प्रस्तावित इन्सीनेरेशन बाँयलर स्वदेशी स्रोत से खरीदा गया है (यदि नहीं, तो इसका कारण बताएं)।	

ग. मौजूदा चीनी मिल के साथ नई डिस्टिलरी की स्थापना से संबंधित जानकारी

(i)	केएलपीडी में प्रस्तावित डिस्टिलरी की क्षमता	
(ii)	क्या नई डिस्टिलरी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के साथ स्थापित करने का प्रस्ताव है।	
(iii)	मूल कीमत तथा लागू करों आदि सहित नई डिस्टिलरी परियोजना हेतु मांगी गई वित्तीय सहायता ।	
(iv)	अग्रणी बैंक का नाम।	
(v)	क्या इसी तरह की परियोजना के लिए चीनी विकास निधि सहायता का लाभ उठाया गया है।	
(vi)	नई डिस्टिलरी की स्थापना के बाद प्रचालन के प्रस्तावित दिन।	
(vii)	चीनी मिल में शीरे का उत्पादन जहां प्रस्तावित डिस्टिलरी स्थापित की जानी है (यदि समूह कंपनी है, तो कृपया इकाई-वार ब्यौरा दें)	
(viii)	नए प्लांट की स्थापना हेतु प्रस्तावित समय सीमा।	
(ix)	इथेनॉल उत्पादन शुरू होने की संभावित तारीख।	
(x)	क्या प्रस्तावित नई डिस्टिलरी स्वदेशी स्रोत से खरीदी गई है (यदि नहीं, तो इसका कारण बताएं)।	

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(Department of Food and Public Distribution)
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2018

S.O. 3523(E).—The Central Government, with a view to increase production of ethanol and its supply under Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme, specially in the surplus seasons and thereby to improve the liquidity position of the sugar mills enabling them to clear cane price arrears of the farmers, hereby notifies the following scheme namely - “Scheme for extending financial assistance to sugar mills for enhancement and augmentation of ethanol production capacity” -

- (1) **Objective of the Scheme** – Assistance under the scheme will be utilized by the sugar mills;
- (i) For increasing ethanol production by enhancing the number of working days of existing distilleries in a year on installation of new incineration boilers.
- (ii) For augmentation of ethanol production capacity by setting up of new distilleries attached with their sugar mills.
- (2) **Eligibility:**
- (i) Existing distilleries attached with the sugar mills are eligible for assistance to install new incineration boilers.
- (ii) All the sugar mills are eligible for assistance to set up new distilleries. Preference will be given to sugar mills which do not have existing distillery.
- (3) **Assistance under the Scheme :**
- (i) Interest subvention @ 6% per annum or 50% of rate of interest charged by banks, whichever is lower, on the loans to be extended by banks, shall be borne by the Central Government for five years.
- (ii) Interest subvention under the scheme in respect of 2(i) above shall be provided on the maximum loan amount of Rs. 20 crore or the actual loan amount, whichever is less, and in respect of 2(ii), it shall be provided on the loan amount of Rs. 80 crore or actual loan amount, whichever is less.
- (iii) The total interest subvention under the scheme will be limited to total loan amount of Rs.2200 crore for installation of incineration boilers and Rs.2240 crore for establishment of new distilleries.
- (4) **Submission of application :**
- The sugar mills which desire to either install new incineration boiler in their existing distilleries or to set up new distillery plant, would be required to submit an application-cum proposal in the prescribed Proforma (Annexure) to the Chief Director (sugar), Directorate of Sugar and Vegetable Oils, Department of Food & Public Distribution (DFPD), Krishi Bhawan, New Delhi **within 30 days from the date of notification of the scheme.** DFPD will scrutinize the application on the following parameters:
- (a) Performance of ethanol supply under Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme
- (b) Track record regarding payment of cane price dues of farmers.
- (c) Timely filing of monthly on-line return in P-II (Proforma-II) as prescribed by the Directorate of Sugar and Vegetable Oils
- (d) Compliance of various Directives / Orders issued DFPD after 06.06.2018.
- (e) Availability of molasses for the project.
- (f) Status of SDF/LSPEF/Levy dues, etc.

(5) Modalities of the Scheme:

- (i) After scrutinizing the applications cum proposals, DFPD will accord its in principle approval and recommend such approved proposals to the lending banks for considering sanction of loan. Banks would be at liberty to sanction/release the loan as per their commercial norms/policies and in compliance with regulatory guidelines, including the restructuring guidelines, as notified by RBI from time to time.
- (ii) The applicant should get the loan disbursed from the bank within one year from the date of in principle approval of DFPD, failing which the in principle approval for the project will stand cancelled. Further, the project should be completed within two years from the date of disbursement of first installment of loan from bank.
- (iii) While implementing their respective projects, the sugar mills shall strive to seek convergence with the Make in India scheme of the Government for capacity addition/ up-gradation in ethanol production.
- (iv) The disbursement of loan under the scheme shall be in a separate account so that the utilization of the money for the said purpose is easily monitored.
- (v) The Department of Financial Services (DFS) will issue suitable instructions to the banks to operationalise the scheme including appointment of NABARD as a nodal bank.

(6) Modalities of payment of interest subvention

- (i) Payment of interest subvention on loan amount under the scheme will be limited to only 5 years including one year moratorium period.
- (ii) The benefit of interest subvention will be provided by the Government only if a sugar mill account is Standard and will not be available as long as account is NPA. The sugar mill will be responsible for repayment of interest including penal interest for the period of default along with the principal. Further, banks will be free to take necessary action against the defaulting borrowers as per banking norms and applicable regulatory guidelines.
- (iii) In the event of surplus cash flow with the sugar mills, accelerated payments may be decided by the bank and the interest subvention liability of DFPD towards loan account would accordingly get reduced.
- (iv) The Department of Food and Public Distribution (DFPD) will release the interest subvention amount on quarterly basis in advance to the nodal bank as appointed by DFS. The interest earned on the interest subvention paid in advance shall be adjusted in the next quarterly installment.
- (v) DFPD will work out the modalities of release of Interest Subvention in consultation with NABARD.

(7) Project Completion Certificate- The concerned distilleries with sugar mills shall submit a certificate duly verified by the Central Pollution Control Board certifying that zero liquid discharge has been achieved on installation of incineration boiler. Sugar mills availing loan to establish new distilleries shall submit a certificate duly verified by the Excise Commissioner of the State concerned and the Chartered Engineer certifying respectively that the new distillery has commenced production and has been installed. Any failure to submit such certificates shall lead to non-reimbursement of interest subvention by the Central Government.

(8) Utilization Certificate: The concerned sugar mills shall submit utilization certificate for the sanctioned loan amount within three months of the completion of the project, duly verified by the respective sugar/cane commissioners certifying that the loan amount has been utilized for the purpose specified in the scheme. The state/cane commissioner shall also monitor the utilization of the loan. Any failure to submit the utilization certificate shall lead to non-reimbursement of interest subvention by the Central Government.

(9) Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing modify any of the provisions of this Scheme.

[F. No. 1(10)/2018-SP-I]

SURESH KUMAR VASHISHTH, Jt. Secy.

ANNEXURE

APPLICATION FROM THE SUGAR FACTORY FOR FINANCIAL ASSISTANCE FOR INSTALLATION OF NEW INCINERATION BOILER IN THE EXISTING DISTILLERY OR SETTING UP OF NEW DISTILLERY FOR ETHANOL PRODUCTION**A. Brief details of the sugar factory**

1	Name of the sugar factory/undertaking /society/company	
2	Short name & plant code of the factory	
3	Installed crushing capacity of the factory	
4	Date of commencement of sugar production in the sugar factory	
5	Production capacity of the existing distillery attached with sugar mill, if any	
6	Does the undertaking has any other sugar factory (indicate short name and capacity of other group factories)	
7	Performance of ethanol supply during current and last two ethanol years under Ethanol Blended with Petrol Programme (EBP):	
	(i) Quantity of ethanol indented by OMCs (year-wise)	
	(ii) Quantity of ethanol supplied against indented quantity (year-wise).	
8	Performance of cane price payment :	
	(i) Total cane price payable against purchase of cane during 2017-18 SS.	
	(ii) Total cane price paid against cane purchased in 2017-18 SS.	
	(iii) Pending cane arrears for 2017-18 SS and earlier seasons, if any (Please indicate arrear amount season-wise)	
9	Whether monthly Proforma P-II filed online (If yes, up to which month)	
10	Whether directives/orders issued by DFPD on or after 06.06.2018 have been complied	
11	Status of SDF/LSPEF/Levy outstanding dues, if any.	

B. Information relating to existing distillery attached with the sugar mill for installation of incineration boiler

(i)	Capacity of the proposed incineration boiler.	
(ii)	Working pressure of the proposed boiler.	
(iii)	Whether permission of CPCB has been obtained, if yes, number of operating days in a year for existing distillery.	
(iv)	Financial assistance requested for installation of incineration boiler (including duties, surcharge & erection cost etc). Please indicate item-wise breakup.	
(v)	Name of the leading bank.	

(vi)	Whether SDF assistance has been availed for similar project.	
(vii)	Proposed days of operation after installation of incineration boiler.	
(viii)	Additional production of ethanol after installation of new incineration boiler.	
(ix)	Production of molasses in the existing sugar mills of the group company (Please indicate unit-wise)	
(x)	Proposed time line for installation of new incineration boiler	
(xi)	Expected date of commencement of ethanol production after installation of incineration boiler.	
(xii)	Whether proposed incineration boiler is procured from indigenous source (if not, reasons for the same).	

C. Information relating to setting-up of new distillery with the existing sugar mill

(i)	Capacity of the proposed distillery in KLPD	
(ii)	Whether the new distillery is proposed to install with zero liquid discharge system.	
(iii)	Financial assistance requested for new distillery project including basic price and applicable taxes etc.	
(iv)	Name of the lending bank.	
(v)	Whether SDF assistance has been availed for similar project.	
(vi)	Proposed days of operation after setting up of new distillery.	
(vii)	Production of molasses in the sugar mill where proposed distillery is to be set up (If group company, please indicate unit-wise)	
(viii)	Proposed time line for installation of new plant.	
(ix)	Expected date of commencement of ethanol production.	
(x)	Whether proposed new distillery is procured from indigenous source (if not, reasons for the same).	